फैक्स नं0 : 0522 – 2286643
☎ : 0522 – 2287701

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0

शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ – 226001
U.P.RAJYA VIDYUT UTPADAN NIGAM LTD.
(A U.P. Government Undertaking)
SHAKTI BHAWAN, 14-ASHOK MARG, LUCKNOW-226001
CIN: U40101UP1980SGC005065

पत्र सं0:721–मा0सं0प्र0–02/उनिलि/2017–48–मा0सं0प्र0–02/2001 दिनांक : 28 मार्च, 2017

फैक्स (1) मुख्य अभियन्ता (स्तर– I/II),
अनपरा/ओबरा/पारीछा/हरदुआगंज/पनकी तापीय विद्युत गृह/
उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,
अनपरा(सोनभद्र)/ओबरा (सोनभद्र)/पारीछा(झाँसी)/कासिमपुर (अलीगढ़)/पनकी(कानपुर)/लखनऊ ।

(2) मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त)
उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0
शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ ।

विषय :– *उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के समस्त पूर्णकालिक अधिकारियों/कर्मचारियों, जिनके वेतनमान दिनांक 01.01.06 से पुनरीक्षित किये जा चुके है को दिनांक 01.07.2016 से लागू बढ़ी हुई दर पर महँगाई भत्ते का भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।*

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ0प्र0 शासन के वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1 द्वारा निर्गत शासनादेश सं0: 10/2016/वे0आ0– 1–1070(2)/दस–2016–8(एम)/2016, दिनांक: 23.12.2016 के सन्दर्भ में तथा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के आदेश संख्या 1380–मा0सं0प्र0–(02)/उ0नि0लि0/2016–48–मा0सं0प्र0–02/2001, दिनांक 24.06.2016 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 01 जनवरी, 2006 से पुनरीक्षित वेतनमानों में वेतन प्राप्त कर रहे उत्पादन निगम के समस्त पूर्णकालिक नियमित अधिकारियों/कर्मचारियों को **दिनांक 01 जुलाई, 2016** से निम्नानुसार संशोधित दर पर महंगाई भत्ते के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है :–

तिथि जब से देय है	महंगाई भत्ते की मासिक दर
01 जुलाई, 2016	मूल वेतन का 132 प्रतिशत

2– इस आदेश द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते के आगणन हेतु "मूल वेतन" का तात्पर्य दिनांक 01.01.06 से लागू पुनरीक्षित वेतन–संरचना में कर्मचारियों को अनुमन्य वेतन बैण्ड में 'वेतन' तथा अनुमन्य 'ग्रेड वेतन' के योग से होगा, किन्तु नियत वेतनमान में अनुमन्य वेतन ही मूल वेतन माना जायेगा। परन्तु उक्त के अतिरिक्त अन्य प्रकार के वेतन जैसे विशेष वेतन/भत्ता, सीमान्त भत्ता, वैयक्तिक वेतन, प्रतिनियुक्ति भत्ता/वेतन तथा अन्य भत्ते आदि भले ही वे मूल नियमों के अन्तर्गत वेतन की परिभाषा में आते हो, को मूल वेतन के साथ सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

क्रमशः..... 2/–

EE (M&B) 12/4/17

3– निगमादेश सं0: 53/मा0सं0(04)/उनिलि/2009–17–मा0सं0(04)/2003, दिनांक 08.01.2010 मे निहित प्राविधानान्र्तगत चिकित्साधिकारियों को स्वीकृत प्रेक्टिस बंदी भत्ता की धनराशि को मंहगाई भत्ता के आगणन में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

4– महंगाई भत्ते को एक तरह का विशिष्ट घटक ही माना जायेगा तथा वित्तीय नियम–9(21) के अन्तर्गत वेतन नहीं माना जायेगा।

5– इन आदेशों के द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ता उन कार्मिकों को भी, जो प्रभावी तिथि को सेवारत थे, किन्तु इस आदेश के जारी होने के पूर्व जिनकी सेवायें चाहें जिन कारणों से यथा अनुशासनिक कारणों से या त्यागपत्र, सेवानिवृत्ति, मृत्यु या सेवा मुक्त करने या स्वीकृत पदों की समाप्ति के कारण समाप्त हो गयी हो, सेवा समाप्ति, सेवानिवृत्ति आदि की तिथि तक अनुमन्य होगा।

6– इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते की देय धनराशि को निकटतम एक रूपये में पूर्णांकिंत किया जायेगा अर्थात 50 पैसे और उससे अधिक को उच्चतर रूपये पर पूर्णांकिंत किया जायेगा और 50 पैसे से कम की राशि को छोड़ दिया जायेगा ।

7– इन आदेशों द्वारा स्वीकृत दरों पर महंगाई भत्ते के दिनांक 01 जुलाई, 2016 एवं अग्रेतर भुगतान/अवशेषों की देयता की प्रक्रिया निम्नवत् निर्धारित की जाती है :–

I- इन आदेशों द्वारा स्वीकृत महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान दिनांक 01 जनवरी, 2017 (माह जनवरी, 2017 का भुगतान दिनांक 01 फरवरी, 2017 को देय) से नकद किया जायेगा। दिनांक 01 जुलाई, 2016 से दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 तक के अवशेष भुगतान की प्रक्रिया वही होंगी, जो उत्पादन निगम के कार्मिकों के सम्बन्ध में सप्तम वेतन आयोग के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2016 से प्रभावी वेतन पुनरीक्षण विषयक आदेशों में अवशेष की देयता के सम्बन्ध में निर्धारित की जायेगी।

II- यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी भविष्य निधि का सदस्य नहीं है तो उसे उक्त अवशेष धनराशि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट (एन0एस0सी0) के रूप में दी जायेगी, परन्तु धनराशि के जिस अंश का सर्टिफिकेट उपलब्ध न हो, वह उसे नकद दी जायेगी।

8– निगम के आदेश सं0 सचिव/उनिलि/सी0पी0एफ0ट्रस्ट/952 दिनांक 02.12.2006 के अनुसार बढ़े हुये महंगाई भत्ते के अवशेषों के भुगतान सम्बन्धी आदेशों के तारतम्य में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 कन्ट्रब्यूटी प्रोविडेण्ट फण्ड ट्रस्ट से आवरित निगमीय कार्मिकों के प्रकरण में यह धनराशि सी0पी0एफ0 खातों में जमा की जायेगी और इस राशि के 10 प्रतिशत समतुल्य नियोक्ता अंशदान के रूप में निगम द्वारा सी0पी0एफ0 मद में दी जायेगी।

9– उक्त आदेशों द्वारा स्वीकृत बढ़ी हुई महंगाई भत्ते की धनराशि के आहरण हेतु लेखा इकाई द्वारा प्राधिकार पत्र अलग से निर्गत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

भवदीय,

(मो0 तस्नीम)
महाप्रबन्धक(मा0सं0)

कमशः..... 3/–

सं0: 721–मा0सं0प्र0–02/उनिलि/2017, तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ के निजी सचिव। ।
2. निदेशक (कार्मिक एवं प्रशासन/तकनीकी/वित्त/परियोजना एवं वाणिज्य), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के स्टाफ आफिसर/निजी सचिव।
3. महाप्रबन्धक(मा0सं0), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता एवं परियोजना समन्वयक (पीपीएमएम), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, चतुर्थ तल, टीसी–46/वी,समाज कल्याण भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010।
5. मुख्य अभियन्तां, तापीय परिचालन/ईंधन/पीपीएमएम/वाणिज्य/आर0एण्डएम0, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता (जानपद)/(जानषद नव –परियोजनाएँ), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ ।
7. अध्यक्ष, विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. महा प्रबन्धक (लेखा/सम्प्रेक्षा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. मुख्य परियोजना प्रबन्धक (प्रगति), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, चतुर्थ तल, नवीन भवन, टीसी/46वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010 को निगम की वेबसाइट www.uprvunl.org पर अपलोड करने हेतु ।
11. उप महाप्रबन्धक/अधीक्षण अभियन्ता (मा0सं0–01/02/03/04/05/06)/रिफॉर्म/तापीय परिचालन इकाई/टाण्डा वाइंडिग सेल/प्रशिक्षण, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
12. मुख्य प्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), कैश प्रबन्धन इकाई उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ ।
13. समस्त उप सचिव/अधिशासी अभियन्ता/अनुसचिव/अनुभाग अधिकारी, (मानव संसाधन), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ ।
14. वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी(वे0 एवं ले0)/(पेंशन), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, लखनऊ ।
15. वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी (औ0सं0), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ ।
16. कट फाइल ।

आज्ञा से,

28/03/17

(मो0 तस्नीम)
महाप्रबन्धक(मा0सं0)